रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270825
CG-DL-E-11032026-270825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1190] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947
No. 1190] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1242(अ).— केंद्रीय सरकार ,आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक अकार्बनिक), कार्बनिक या मिश्रितआदेश (नियंत्रण) (, 1985 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् -:

1.)1 इस आदेश का(संक्षिप्त नाम उर्वरक अकार्बनिक), कार्बनिक या मिश्रितदूसरा संशोधन आदेश (नियंत्रण) (, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक अकार्बन)िक, कार्बनिक या मिश्रितआदेश (नियंत्रण) (, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है(,—

(i) खंड 8 के उपखंड 2 के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

परन्तु यह कि नैनो उर्वरकों की दशा में, विनिर्माता प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने के लिए प्ररूप क -1 के साथ संबंध राज्य सरकार के अधिसूचित प्राधिकारी को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज (जीएलपी) प्रयोगशालाओं या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा संचालित जैव विषाक्तता या सुरक्षा डेटा प्रस्तुत करें।"

(ii) खंड 20 (घ) में ,

(क) उपखंड (1) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (3) में, "और बहु फसल" शब्दों के पश्चात् (कम से कम दो फसलों के लिए परीक्षण किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक तीन विभिन कृषि-जलवायु क्षेत्रों में न्यूनतम एक मौसम का होगा) अंतस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपखंड (8) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंतस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

"(9) प्रत्येक विनिर्माता किसानों के लिए उत्पाद के पत्रक पर प्रैक्टिस का पैकेज देगा।

(10) प्रत्येक विनिर्माता, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से तीन विभिन कृषि जलवायु क्षेत्रों में दो मौसम में कम से कम दस फसलों की अधिसूचना के पश्चात् की परीक्षण रिपोर्ट के साथ उपखंड (1) के अधीन जारी उक्त अधिसूचना के दो वर्ष की अवधि के भीतर खंड 20घक के अधीन पांच वर्ष की और अवधि के लिए अधिसूचना हेतु अनुरोध करेगा, जिसके न हो सकने पर खंड 20घ (1) के अधीन जारी अधिसूचना लागू नहीं होगी और आगे कोई विस्तार अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।"

(घ) खंड 20 (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"20घ क (1) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्देशों को अधिसूचित करके ऐसी विनिर्माण इकाई द्वारा विनिर्मित नैनो उर्वरकों के संबंध में, जो, उसमें विनिर्दिष्ट है, जो पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होंगे, अनुसूची 7 में यथा विनिर्दिष्ट साधारण विनिर्देशों के अनुरूप बनाएगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, कोई नैनो उर्वरक का विनिर्माण नहीं करेगा जब तक कि ऐसा उर्वरक उपखंड (1) के अधीन जारी आदेश में दिए हुए मानक के अनुरूप न हो।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी नैनो उर्वरक का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए वांछित है, कम से कम 10 फसलें, दो मौसम के बहु-स्थानिक और बहु फसल परीक्षण पर राज्य कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तीन विभिन कृषि जलवायु क्षेत्रों में और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार जैव सुरक्षा, जैव विषाक्तता और गुणवत्ता परीक्षण पर किसी भी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं या गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज प्रयोगशालाओ की रिपोर्ट के साथ उर्वरक नियंत्रक को प्ररूप-छ-5 में अनुलिपित मे आवेदन करेगा।

(4) प्रत्येक विनिर्माता केंद्रीय सरकार और संबंध राज्य सरकार के निदेशक (कृषि) को सूचित करेगा कि वह किसानों को कहा पर उक्त उर्वरक उपलब्ध करवाने का आशय रखता है ।

(5) प्रत्येक विनिर्माता नैनो उर्वरक के उपयोग के सुरक्षा पहलुओं पर किसानों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करेगा।

(6) प्रत्येक विनिर्माता नैनो उर्वरक के कंटेनर के लेबल पर या नैनो उर्वरक के साथ पैक होने वाले अलग पत्रक में आवश्यक पूर्वावधानिया मुद्रण करवाएगा ।

(7) प्रत्येक विनिर्माता किसानों के लिए उत्पाद के पत्रक पर अभ्यास पैकेज देगा। अभ्यास पैकेज में परीक्षण के सकारात्मक परिणाम के अनुसार 75% आरडीएफ (उर्वरक की अनुशंसित खुराक) की फसलवार बेसल खुराक और 25% नैनो उर्वरक की खुराक शामिल होनी चाहिए।

(8) प्रत्येक विनिर्माता, केन्द्रीय सरकार को नैनो उर्वरक के वितरण या प्रेषण से पूर्व किसी एनएबीएल प्रत्यापित प्रयोगशाला से प्रत्येक बैच की परीक्षण रिपोर्ट उपन्धित करेगा।

(9) प्रत्येक विनिर्माता कंटेनर पर खेप संख्या मुद्रित करेगा या 5 लीटर से कम भार वाले कंटेनर पर सुरक्षा पूर्वक लेबल चिपकाएगा।"।

परन्तु यह कि अधिसूचना कंपनी द्वारा उपन्धित साधारण विनिर्देश के आधार पर उत्पादवार बनाई जाएगी न कि कंपनीवार:

परन्तु यह और भी कि पांच वर्ष से आगे का विस्तार, नैनो उर्वरकों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध के नतीजों और नैनो उर्वरकों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के विकास के आधार पर दिया जाएगा।।

(10) अगर कोई कंपनी उक्त आदेश के खंड 8 के अधीन किसी राज्य में बिक्री की अनुमति लेना चाहती है, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार जैव सुरक्षा, जैव विषाक्तता और गुणवत्ता परीक्षण पर किसी भी एन ए बी एल प्रत्यापित प्रयोगशालाओं के रिपोर्ट के साथ राज्य में आवेदन करेगा।

(iv) प्रारूप छ-4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

" प्ररूप छ-5

[खंड 20घ क देखिए]

उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अधीन नैनो उर्वरक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

उर्वरक नियंत्रक

---,

---.

1. विनिर्माता का नाम

2. नैनो उर्वरक का नाम

3. विनिर्देशः

4. बहु-स्थानिक जैव-प्रभावकारिता परीक्षण का विवरणः

(i) राज्य कृषि विश्वविद्यालय का नाम/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानः

(ii) फसलें:

(iii) अस्थिति का ब्यौरा:

5. जैव सुरक्षा/विष-विज्ञान परीक्षण का ब्यौरा:

(i) क्या परीक्षण नैनो प्रौद्योगिकी पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार संचालित किया गया है:

(ii) नैनो प्रौद्योगिकी पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार परीक्षण का प्रकार:

(iii) एनएबीएल/ जीएलपी प्रत्यायित प्रयोगशाला का नाम जहां परीक्षण किया गया:

उपाबध दस्तावेजों की सूचीः

(i) एग्रोनोमिक प्रभावकारिता परीक्षण रिपोर्ट:

(ii) जैव सुरक्षा/विष-विज्ञान परीक्षण रिपोर्टः

प्राधिकृत हस्ताक्षर

के निमित....."

[फा. सं. 1-73/2024 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सख्यांक का.आ. 876 (अ) तारीख 16 फ़रवरी, 2026 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1242(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Second) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985 (hereinafter referred to as the said order,

(i) after sub-clause (2) of clause 8 , the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that in case of nano fertilizers, the manufacturer along with form A-1 for obtaining the Authorization letter submit the Bio toxicity or safety data, conducted by the Good Laboratory Practices (GLP) laboratories or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) as per the guidelines issued by the Department of Bio Technology, to the notified authority of the concerned State Government"

(ii) in clause 20 D,-

(a) in sub-clause (1), for the words "three years" the words " two years" shall be substituted;

(b) in sub-clause (3), for the words " and multi crops", the bracket and words "(trials shall be conducted for at least for two crops, each of which shall be of minimum one season in three different agro-climatic Zones), shall be inserted;

(c) after sub-clause (8), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(9) Every manufacturer shall give Package of Practice on the leaflet of the product for the farmers;

(10) Every manufacturer shall request for notification for a further period of five years under clause 20 DA within a period of two years of said notification issued under sub-clause (1) along with post notification trials reports of at least ten crops, two seasons in three different agroclimatic zones from the Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities failing which the notification issued under clause 20D (1) ceases to be operative and no further extension shall be granted.";

(d) after clause 20 D, the following clause shall be inserted, namely:-

"20 DA

(1) Notwithstanding anything contained in this order, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, notify specifications, valid for a period not exceeding five years, conforming to the general specifications as specified in Schedule VII, in respect of nano fertilizers to be manufactured by such manufacturing unit, as may be specified therein.

(2) No person shall manufacture any nano fertilizer unless such fertilizer conforms to the standard set out in the order issued under sub-clause (1).

(3) Every person, desirous of obtaining approval of any nano fertilizer shall make an application in Form-G-5 in duplicate to the Controller of fertiliser along with a report of the State Agriculture University or of the Indian Council of Agricultural Research on multi-locational and multi crop trials shall be conducted for at least ten crops, shall be of minimum two seasons in three different agro-climatic zone and also a report from any of the NABL accredited laboratories or Good Laboratory Practices laboratories on biosafety, biotoxicity and quality trial as per the guidelines issued by the Department of Bio-Technology.

(4) Every manufacturer shall inform the Central Government and the Director (Agriculture) of the concerned State Government as to where it intends to make said fertilizer available to the farmers.

(5) Every manufacturer shall ensure training to farmers on the safety aspects of the use of nano fertilizer.

(6) Every manufacturer shall print necessary precautions on the label of the container of the nano fertilizer or on a separate leaflet to be packed with the nano fertilizer.

(7) Every manufacturer shall give Package of Practice on the leaflet of the product for the farmers. Package of Practice must contain the crop wise basal dose of 75% RDF (Recommended Dose of Fertilizer) with 25% of dose of Nano Fertilizer as per trials positive outcome.

(8) Every manufacturer shall provide to the Central Government a test report of each batch from any of the NABL accredited Laboratories before its distribution or dispatch of nano fertilizer.

(9) Every manufacturer shall print the batch number on the container or shall have the label securely affixed on the container having weight less than 5 litre.

Provided that the notification shall be made product wise and not company wise based on general specification provided by the company;

Provided further that extension beyond five years, shall be given based on outcome of Indian Council of Agricultural Research research on nano fertilizers and development of Package of Practice for nano fertilizers.

(10) If any company intends to get sale permission in a State under clause 8 of the said order, it shall apply to the state with a report from any of the NABL accredited laboratories on biosafety, biotoxicity and quality trial as per the guidelines issued by the Department of Bio-Technology.

(iv). After Form G-4 , the following form shall be inserted namely,-

"Form G-5

[see clause 20 DA]

APPLICATION FOR INCLUSION OF NANO FERTILISER UNDER THE FERTILISER (INORGANIC, ORGANIC OR MIXED) (CONTROL) ORDER 1985

To,

The Controller of Fertiliser

----------,

----------.

1. Name of the Manufacturer:

2. Name of nano fertiliser:

3. Specifications:

4. Details of multilocation bio-efficacy trials:

(i) Name of State Agricultural University/ Institute of Indian Council of Agricultural Research:

(ii) Crops:

(iii) Details of locations:

5. Details of Bio safety/ Toxicology trials:

(i) Whether trials have been conducted as per Department of Bio

Technology guidelines on nano technology:

(ii) Type of trials as per Department of Bio Technology guidelines on nano technology:

(iii) Name of NABL/ GLP accredited laboratory where the trials are conducted:

List of documents attached:

(i) Agronomic efficacy trails report:

(ii) Bio-safety/ Toxicology trials report:

Authorised signature

On/ or behalf of the……"

[F. No. 1-73/2024 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note :- The principal Order was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II. Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. number 758(E) dated 25th September, 1985 and was last amended S.O. number 876 dated 16.02.2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.11 14:24:37 +05'30'